

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
 उप सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
 शिक्षा विभाग 2 समूहाय केंद्र,
 प्रोत्ति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक:

5 तितम्बर, 1995

विषय:- शिक्षा विभाग द्वारा भ्रमण कार्य प्रतापपुर काशीपुर नैनीताल को शीघ्रतापूर्वक नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कठने का निदेश हुआ है कि शिक्षा विभाग द्वारा भ्रमण कार्य प्रतापपुर काशीपुर नैनीताल को शीघ्रतापूर्वक नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवृत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत तोतावली का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यार्थियों में विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित गुणक से अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार टि इंडियन स्कूल सर्विसेज द्वारा अनुदान प्राप्त होना ही तर्क से परिषद से सम्बन्धता हेतु राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्पन्न हो जायेगी ।
- 5- संस्था के अधिक से अधिक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2-

~~संस्था/श्री/काशीपुर/नैनीताल/प्रतापपुर/काशीपुर/काशीपुर~~

2-

प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को सम्बन्धता दिये जाने के पूर्व यह

तुनिश्चित किया जाय कि :-

1- विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षित तथा अर्ह हैं ।

2- भवन का किराया नाम पंजीकृत करवाकर शासन को एक माह में अवगत कराया जायेगा तथा धविष्य में जो शिक्षण कक्ष निर्मित किये जायेंगे उनकी माप निर्धारित मानक के अनुसार होगी ।

3- शासनादेश दिनांक 30-11-91 में उल्लिखित नई विन्दु का समावेश तोतावली के काइयाज में करके उतकी अधिकृत प्रति 3 माह में शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

4- विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन मानक के अनुसार बैंक के माध्यम से काता अन्तरण प्रकृति से किया जायेगा ।

3-

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं

किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की रुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदात अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा

भवदीय,

श्री अशोक गांगुली,
 उप सचिव ।


संख्या 2900111/15-7-1995 तददिनांक

=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुपार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय उप शिक्षा निदेशक, सुभाष भवन नैनीताल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, शिक्षा विभाग भ्रमण कार्य प्रतापपुर काशीपुर नैनीताल ।

आज्ञा है,



श्री अशोक गांगुली,
 उप सचिव ।